

## SECOND HALF YEARLY DEPARTMENTAL EXAMINATION, 2013

## CENTRAL EXAMINATION COMMITTEE, BIHAR

ACCOUNTS PART-2 (WITH BOOKS)—FOR OFFICERS OF INFORMATION  
AND PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT.

Time--1.30 hours.

Full marks--100

Pass marks--50

## Part 'A'/खंड 'क'

## Objective type questions/बस्तुनिष्ठ प्रश्न

Answer all questions. Only one among alternatives of each question is correct. No negative marks will be awarded for wrong answer. Tick (✓) the correct one.

25×2=50

दिये गये चार विकल्पों में कोई एक ही सही है। गलत उत्तर के लिये ऋणात्मक अंक नहीं दिये जायेंगे। सही उत्तर में चिन्ह (✓) लगावें।

1. "Lien" has been defined in Rule.....of Bihar Service Code—

(a) Rule 76

(b) Rule 26

(c) Rule 75

(d) Rule 28.

"ग्रहणाधिकार" बिहार सेवा संहिता के नियम.....में परिभाषित है—

(क) नियम 76

(ख) नियम 26

(ग) नियम 75

(घ) नियम 28।

2. A Government Servant can opt for Voluntary Retirement, if he has served for-

(a) 30 Years

(b) 25 Years

(c) 20 Years

(d) 21 Years.

कोई सरकारी सेवक जिसने निम्नलिखित वर्षों तक सेवा पूर्ण कर लिया हो, स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकता है—

(क) 30 वर्ष

(ख) 25 वर्ष

(ग) 20 वर्ष

(घ) 21 वर्ष।

3. What is the maximum period for which a Government Servant can avail leave—

(a) 4 Years

(b) 5 Years

(c) 3 Years

(d) 6 Years.

कोई सरकारी सेवक अधिकतम कितने दिनों तक लगातार अवकाश का उपयोग कर सकता है—

(क) चार वर्ष

(ख) पाँच वर्ष

(ग) तीन वर्ष

(घ) छः वर्ष।

4. Which rule of Bihar Service Code provides of compulsory retirement of Government Servant—

(a) Rule 79(a)

(b) Rule 75(d)

(c) Rule 74(a)

(d) Rule 73(b).

बिहार सेवा संहिता के किस नियम में अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रावधान है—

(क) नियम 79(अ)

(ख) नियम 75(द)

(ग) नियम 74(अ)

(घ) नियम 73(ब)।

5. Which rule of Bihar Service Code Provides for Commuted Leave—

(a) Rule 229

(b) Rule 230

(c) Rule 234

(d) Rule 239.

  


बिहार सेवा संहिता के किस नियम के अधीन रूपांतरित अवकाश स्वीकृति का प्रावधान है—

(क) नियम 229

(ख) नियम 230

(ग) नियम 234

(घ) नियम 239।

  


6. A Government Servant remaining continuously absent with or without leave except on Foreign Service ceases to be in Government Employee for the period of—

(a) 6 Years

(b) 5 Years

(c) 4 Years

(d) 7 Years.

  


सरकारी सेवक वाह्य सेवा छोड़कर छुट्टी के साथ या बिना छुट्टी के कर्तव्य से निम्नलिखित अवधि तक लगातार अनुपस्थिति के बाद सरकारी सेवा में/नियोजन में नहीं रह सकता है—

(क) 6 वर्ष

(ख) 5 वर्ष

(ग) 4 वर्ष

(घ) 7 वर्ष।

  


7. When Department Proceeding shall be deemed to be started against a Government Servant—

(a) Charges are levelled by a complainant

(b) Initial enquiry into the charges beings

(c) When charges are framed and served upon

(d) Charges are proved.

  


सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही कब शुरू माना जायेगा—

(क) आरोप शिकायतकर्ता द्वारा लगाया जायेगा

(ख) आरोपों पर प्रारंभिक जाँच शुरू होगा

(ग) आरोप गठित कर सूचना दी जायेगी

(घ) आरोप सही पाया जायेगा।

  


8. In case of a Pensioner's re-employment which part of the pension amount should be considered at the time of fixation of his total receipt—

(a) Original amount of the Pension

(b) Commuted amount of the Pension

(c) Original amount including D.A.

(d) None of the above.

  


किसी पेंशनर के पुनर्नियोजन के पश्चात् उनके वेतन भत्ता निर्धारण हेतु निम्नांकित में से कौन राशि पेंशन मानी जायेगी—

(a) मूल पेंशन राशि

(b) रूपांतरण के पश्चात् की पेंशन राशि

(c) महंगाई भत्ता सहित मूल पेंशन राशि

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

  


9. How much provisional pension can be granted to the Government Servant after retirement—

(a) 60 Percent

(b) 75 Percent

(c) 90 Percent

(d) 100 Percent.

  


पेंशन के अंतिम निष्पादक के प्रत्याशा में किसी सरकारी सेवक को औपबोधक पेंशन के रूप में कितनी राशि दी जाती है—

(क) 60 प्रतिशत

(ख) 75 प्रतिशत

(ग) 90 प्रतिशत

(घ) 100 प्रतिशत।

  


10. If any Government Servant gets his/her Vasectomy/Tubectomy done with two children, he/she is awarded with an advance increment provided his/her age in within—

(a) 35 Years

(b) 37 Years

(c) 40 Years

(d) 42 Years.

  


यदि कोई सरकारी सेवक जिसे दो से अधिक जीवित संतान नहीं हो, बंध्याकरण कराना चाहता हो, तो बंध्याकरण हेतु अधिकतम आयु क्या होगी—

(क) 35 वर्ष

(ख) 37 वर्ष

(ग) 40 वर्ष

(घ) 42 वर्ष।

  


11. Under which rule of Bihar Service Code a Government Servant already sent to Jail deem to be suspended—

(a) Rule 96

(b) Rule 98

(c) Rule 99

(d) Rule 100.



बिहार सेवा संहिता के किस नियमान्तर्गत जेल में बन्द सरकारी सेवक कारावास अवधि तक निलम्बित राखे जायेगा—

(क) नियम 96

(ग) नियम 99

(ख) नियम 98

(घ) नियम 100।

12. The Government Servant with following Grade Pay is entitled to travel in A.C.-2 Tire Sleeper—

(a) Rs. 8,700

(c) Rs. 4,600

(b) Rs. 4,800

(d) Rs. 2,400.

कौन सरकारी सेवक जिनका ग्रेड पे निम्नांकित है ए०सी०-2 टायर शयनयान में यात्रा कर सकते हैं—

(क) 8,700 रुपये

(ग) 4,600 रुपये

(ख) 4,800 रुपये

(घ) 2,400 रुपये।

13. When a Government Servant with Grade Pay of Rs. 7,600 travels in Delhi by taxi he will get the following fare—

(a) Rs. 15/K.M

(c) Rs. 12/K.M

(b) Rs. 18/K.M

(d) Rs. 8/K.M.

7,600 रुपये ग्रेड पे पाने वाले सरकारी सेवक अगर दिल्ली में टैक्सी से यात्रा करते हों, तो उन्हें निम्नांकित में से कौन किराया देय होगा—

(क) 15 रु०/कि०मी०

(ग) 12 रु०/कि०मी०

(ख) 18 रु०/कि०मी०

(घ) 8 रु०/कि०मी०।

14. Daily Allowance is not admissible to the Government Servant continuous halt at one place for more than—

(a) 20 Nights

(c) 10 Nights

(b) 15 Nights

(d) 7 Nights.

ऐसे सरकारी सेवक जो अपने मुख्यालय से बाहर निम्नांकित रात्रि विश्राम करते हैं, उन्हें दैनिक भत्ता देय नहीं है—

(क) 20 रात

(ग) 10 रात

(ख) 15 रात

(घ) 7 रात।

15. If a Government Servant is summoned by a Court for evidence who will pay his travelling allowance—

(a) State Government

(c) The Opposite Party

(b) The Concerned Court

(d) None of the above.

अगर किसी सरकारी सेवक को गवाही हेतु न्यायालय द्वारा सम्मन किया जाता है, तो उनके यात्रा भत्ता का वहन कौन करेगी—

(क) राज्य सरकार

(ग) विपक्षी

(ख) संबंधित न्यायालय

(घ) उपरोक्त में से कोई नहीं।

16. If a demand of any kind is presented in the treasury for payments it cannot be paid under one of the following conditions—

(a) Authorised by rule

(c) Express order from Finance Department

(b) Special order form A.G.

(d) By the order of Finance Department.

यदि कोषागार में भुगतान के लिये माँग प्रस्तुत की जाती है, तो उसका भुगतान निम्नांकित में से किस परिस्थिति में नहीं की जायेगी—

(क) इस नियमावली के अधीन प्राधिकृत होने पर

(ग) वित्त विभाग का अभिव्यक्त आदेश प्राप्त होने पर

(ख) महालेखाकार से विशेष आदेश प्राप्त होने पर

(घ) वित्त मंत्री से आदेश प्राप्त होने पर।

17. How much time is allowed for cheques to be presented in the Treasury for the payment—

(a) Six months

(c) Three months

(b) Four months

(d) One month.

चेक जारी किये जाने के कितने दिनों के भीतर भुगतान हेतु कोषागार में उसे प्रस्तुत होना चाहिये—

(क) छः माह

(ग) तीन माह

(ख) चार माह

(घ) एक माह।

18. The transfer of Charge of Collector has been provide in B.T. Code 2011—

(a) Form NO. 1

(c) Form NO. 3

(b) Form NO. 2

(d) Form NO. 4.

समाहर्ता का प्रभार हस्तांतरण बिहार कोषागार संहिता 2011 को किस फॉर्म में दिया जाना चाहिये—

- (क) फॉर्म संख्या 1  (ख) फॉर्म संख्या 2   
 (ग) फॉर्म संख्या 3  (घ) फॉर्म संख्या 4

19. The monthly expenditure report sent to A.G. is signed by—

- (a) Treasury Officer  (b) Collector   
 (c) (a) and (b) both  (d) None of them

महालेखाकार को भेजे जाने वाले मासिक लेखे और अन्य रिटर्न हस्ताक्षरित किये जाते हैं—

- (क) कोषागार पदाधिकारी  (ख) समाहर्ता   
 (ग) (क) एवं (ख) दोनों द्वारा  (घ) इनमें से कोई नहीं

20. Which rule of Bihar T.A. Rules defines kinds of Travels allowances—

- (a) Rule 32  (b) Rule 33   
 (c) Rule 35  (d) Rule 36

बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के किस नियम के अधीन यात्रा भत्ता के प्रकार का प्रावधान है—

- (क) नियम 32  (ख) नियम 33   
 (ग) नियम 35  (घ) नियम 36

21. Maximum how many times T.A. can be claimed to attend in the Departmental Examination—

- (a) One time  (b) Two time   
 (c) Three time  (d) Forever

एक ही विभागीय परीक्षा में शामिल होने के लिये अधिकतम कितनी बार यात्रा भत्ता का दावा किया जा सकता है—

- (क) एक बार  (ख) दो बार   
 (ग) तीन बार  (घ) हमेशा

22. For the Purpose of Daily Allowance cities/towns have been classified in—

- (a) 2  (b) 4   
 (c) 3  (d) 5

सरकारी सेवकों के दैनिक भत्तों की अनुमान्यता के लिये सिटी/शहर का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है—

- (क) 2  (ख) 4   
 (ग) 3  (घ) 5

23. The Drawing and Disbursing Officer will present the Bill for payment through Treasury messenger in—

- (a) Form N0. 8  (b) Form N0. 9   
 (c) Form N0. 10  (d) Form N0. 11

भुगतान के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्र निकासी पदाधिकारी द्वारा कोषागार संदेशवाहक रजिस्टर के माध्यम से कोषागार में प्रस्तुत किये जायेंगे—

- (क) फॉर्म संख्या 8  (ख) फॉर्म संख्या 9   
 (ग) फॉर्म संख्या 10  (घ) फॉर्म संख्या 11

24. When the notification with regard to amendment of rates in T.A. rules take place after sixth pay revision—

- (a) 1st April, 2007  (b) 1st February, 2010   
 (c) 29th January, 2010  (d) 1st January, 2009

छठे वेतन पुनरीक्षण लागू होने के फलस्वरूप बिहार यात्रा नियमावली के दर में संशोधन किस तिथि से प्रभाव में आया—

- (क) 1ली अप्रैल, 2007  (ख) 1ली फरवरी, 2010   
 (ग) 29वीं जनवरी, 2010  (घ) 1ली जनवरी, 2009

25. Which rule under Bihar T.A. Rules lays down that no allowance may be drawn on halts on the Journey?

- (a) Rule 111  (b) Rule 121   
 (c) Rule 141  (d) Rule 101

बिहार यात्रा नियमावली के किस नियम के अंतर्गत यात्रा के दौरान बिताये गये अवधि के लिये भत्ता देय नहीं होगा ?

- (क) नियम 111  (ख) नियम 121   
 (ग) नियम 141  (घ) नियम 101

Short answer type question/लघु उत्तरीय प्रश्न

*Answer any four questions. Answer should be within 100 words. Each question carries 5 marks.*

किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में दें। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। 5×4=20

1. Write down the points which a Drawing and Disbursing Officer needs to follow while disbursing a bill to be put up in Treasury ?  
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को किन-किन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर कोषागार में विपत्र भेजने के पूर्व ध्यान देना चाहिये ?
2. What is transfer grant admissible to a Government Servant ? How it is calculated ?  
स्थानांतरण अनुदान क्या है ? इसकी गणना की विधि का वर्णन करें ?
3. Write short notes on New Contributory Pension Scheme, 2005 .  
नयी अंशदायी पेंशन योजना, 2005 पर संक्षिप्त नोट लिखें।
4. Write short note on Leave not Due .  
अदेय छुट्टी पर संक्षिप्त नोट लिखें।
5. Write short notes on Permanent Advance .  
स्थायी अग्रिम पर संक्षिप्त नोट लिखें।
6. Write short notes on Subsistence Allowance .  
जीवन निर्वाह भत्ता पर संक्षिप्त नोट लिखें।



## Part 'C'/खंड 'ग'

Long answer type questions/दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

*Answer any two questions . Each question carries 15 marks .**15×2=30*

किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है।

1. How a Government Servant can be liable for the Joining Time ? Describe the methods of calculation of Joining Time .

सरकारी सेवक को पद ग्रहण काल कैसे दिया जाता है ? पद ग्रहण काल के गणना की विधि का विस्तारपूर्वक वर्णन करें।

2. What is Letter of Credit ? Who issues it ? What is the purpose of Letter of Credit ? Briefly describe its accounting procedure .

लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है ? इसे निर्गत करने का अधिकारी कौन है ? लेटर ऑफ क्रेडिट का उद्देश्य क्या है ? इसके लेखा संधारण की प्रक्रिया संक्षेप में लिखें।

3. What are the necessary conditions laid down in Bihar Pension Rules for sanction of pension to a Government Servant ?

बिहार पेंशन नियमावली में किसी सरकारी सेवक को पेंशन स्वीकृत करने के लिये किन बाध्यकारी शर्तों का वर्णन है ?

4. What are the purpose of which Non-Refundable Advance from G.P.F. is sanctioned ? Mention the conditions for Non-Refundable Advance ?

भविष्य तिथि से अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति किन-किन कारणों से की जाती है ? तथा इनकी शर्तें क्या-क्या हैं ?